न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 111 / 2008 (225 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2008 / 00036

उनवानी :–

1– कालू पुत्र सल्लू जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

2– समून पुत्र कालू जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

3– साहून पुत्र कालू जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

4– कादिर उर्फ सुल्ला पुत्र कालू जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

5– बल्ला पुत्र सल्लू जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

6– बरकत उर्फ लल्लू पुत्र सुल्लू जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

7– सरफू पुत्र बरकत उर्फ लल्लू जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

8– बिलालखॉ पुत्र बल्ला जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

अपीलांट––––––––––––

बनाम

1– खुदाबक्स पुत्र कलुआ जाति मेव निवासी जीराहेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

रेस्पो0––––––

अपील विरूद्ध निर्णय उप कलैक्टर कांमा03.07.2007
अन्तर्गत मु0न0 31 / 2006 उनवानी खुदाबक्स बनाम कालू

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री पंकज एड0

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक 02.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 563,572 वाके ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी में स्थित है, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

प्रत्यर्थी के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण बहस एकपक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी में काश्त नहीं होती है एवं मौके पर अपीलार्थीगण के मकान बने हुए हैं। अतः प्रत्यर्थी का कब्जा विवादित आराजी पर नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी का मूल वाद ही योग्य नहीं है, ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र धारा 212 भी चलाने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। किसी प्रकार के बचाव के अभाव में अपीलार्थी के कथनों पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। पक्षकारान के अधिकार मूल वाद में बाद साक्ष्य सबूत तय होगें। ऐसी दशा में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर